प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2023 प्र0सू0रि0 सं.** ..22/2023.........**दिनांक**...25/1/2023

2. (I) **अधिनियम:–** धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (II) **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (III) **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0**......................

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....493 **समय** ...6:35P.M...
   (ब) अपराध घटने का दिन– बुधवार, **दिनांक** 24.01.2023 **समय** 1.20 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....16.01.2023...........

4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित**

5. **घटनास्थल:–** कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–बजानिब पूर्व दिशा, करीब 3 कि0मी0
   (ब) बीट संख्या..........................**जयरामदेही सं**.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....**जिला** ......

6. **(i)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**
   (अ) नाम–श्री विनोद कुमार सारवान
   (ब) पिता/पति का नाम– श्री ग्यारसीलाल सारवान
   (स) जन्म तिथी– उम्र 40 साल
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....**जारी होने की तिथि**
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय– प्राईवेट नौकरी
   (ल) पता– मकान नं0 93/5 सैक्टर–01, मालवीय नगर अपेक्स हॉस्पिटल के पास, जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित:–**

1. श्री मेघराज चांवरिया पुत्र श्री लखन लाल, उम्र 42 साल निवासी म.नं. एस–7, वार्ड नं. 90, अशोक चौक, आदर्श नगर–जयपुर, पुलिस थाना आदर्श नगर, हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....**

9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**.....................................

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–** कुल 25,000/–रू0.....

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

Suresh

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 16.01.2023 मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बैठे हुये एक व्यक्ति से परिवादी विनोद कुमार सारवान के रूप में परिचय करवाया। तदुपरान्त परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस के नाम मार्क करते हुए अग्रीम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया और नाम-पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री विनोद कुमार सारवान पुत्र श्री ग्यारसीलाल सारवान उम्र 40 साल निवासी मकान नं0 93/5 सैक्टर-01, मालवीय नगर अपेक्स हॉस्पिटल के पास, जयपुर का बताया तदुपरान्त परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान के हस्तलिखित प्रार्थना का विस्तार से अवलोकन किया गया जिसमें परिवादी ने लिखा है कि "सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर तृतीय, जयपुर, विषय रिश्वत राशि नही देने बाबत्, महोदय निवेदन है कि मेरा नाम विनोद कुमार है मेरी अर्ज है कि मेरी माताजी श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री ग्यारसीलाल नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर कार्यालय में सरकारी सफाई कर्मचारी थी करीब चार पांच साल पहले रिटायर हो गई थी जिसका रिटायर्ड होने के बाद मेरी माताजी को पूरे रूपये नही मिले, रिटायरमेंट के बाकी रूपये लेने के लिए मेरी माताजी नगर निगम कार्यालय जवाहर नगर बार-बार चक्कर लगाती रही और वहां तैनात श्री मेघराज चावरिया मेरी माता से रिटायरमेंट के बचे हुए रूपये का चैक देने के लिए रिश्वत के रूप में पहले 60,000/-रूपये फिर 10,000/- रूपये ले लिए, परन्तु रिटायरमेंट की शेष बची हुई राशि का चैक नही दिया। दिनांक 03.01.21 को मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया उसके बाद में मैं और मेरा छोटा भाई बंटी दोनो माताजी के शेष बचे हुए पेंशन का रूपये लेने जवाहर नगर निगम कार्यालय गये तो श्री मेघराज चावरिया A.C. ने कहा कि पहले 30,000/- रूपये की बोहनी कराओ इसके बाद में चैक ले जाना। मै औरा मेरा भाई बार बार बार चक्कर लगाते रहे परन्तु मेघराज चावरिया ने चैक नही दिया। मै मेघराज चावरिया को 30,000/-रूपये रिश्वत के नही देना चाहता हूं, जो मेघराज चावरिया मुझसे मांग रहा है मेरी मेघराज से मेरी रंजिश नही है और न ही हमारे कोई रूपयो का आपस में लेन-देन है। एसडी प्रार्थी विनोद श्री विनोद कुमार सारवान पुत्र श्री ग्यारसीलाल सारवान उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 93/5 सैक्टर-01, मालवीय नगर, अपेक्स हॉस्पिटल के पास, जयपुर दिनांक 16.01.2023" मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैंने मेरे दोस्त श्री जितेन्द्र सिंह से बोलकर लिखवाया था, जिस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी श्री मेघराज चावरिया से किसी प्रकार की कोई रजिंश व रूपयो पैसो का लेन-देन नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही श्री मेघराज चावरिया के कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर, जयपुर पर पहुंचकर उससे मिलकर मेरे माताजी के पेंशन सम्बंधित कार्य के लिए मिलुंगा और वह मेरे रिश्वत की मांग कर सकता है। इसलिए आज रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हो सकने की संभावना है। अत: रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन के विषय में अवगत कराते हुये कार्यालय के श्री नमो नारायण कानि0 नं0 453 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी व कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् श्री नमो नारायण कानि0 से कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर श्री नमो नारायण कानि. को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ उसकी टैक्सी से रवाना किया गया। समय 4.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री नमो नारायण कानि0 मय परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान के उपस्थित होकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर अवगत कराया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर, जयपुर से कुछ दुरी पहले गोपनीय व सुनसान स्थान पर रूके, जहां पर समय करीबन 2.01 पीएम पर मेरे द्वारा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध मुनासिब हिदायत देकर वाईस रिकार्डर चालु कर सपुर्द कर संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना कर उसके

पीछे-पीछे कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर, जयपुर के पास पहुंचा। परिवादी नगर निगम के भवन में प्रवेश कर गया। मै अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए कार्यालय के पास ही मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी नगर निगम कार्यालय से बाहर आकर मेरे पास आया और वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मै परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय आया। मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी ने बताया कि मेघराज जी आज कार्यालय नही आये है, जिस पर दिनांक 17.01.2023 को नगर निगम के कार्यालय जाकर मेघराज जी से वार्ता कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने के लिए कहा गया। इस पर वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखकर तालाबंद किया गया। परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 17.01.2023 को समय 11.10 एएम पर श्री नमो नारायण कानि0 नं0 453 को कार्यालय में बुलाकर पूर्व में काम लिए जा रहे वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न कराने की मुनासिब हिदायत देकर कानि0 को परिवादी के साथ उसकी टैक्सी से रवाना किया गया। समय करीब 12.05 पीएम पर श्री नमो नारायण कानि0 मय परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान के कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उपअधीक्षक पुलिस को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर अवगत कराया कि मै ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर, जयपुर से कुछ दुरी पहले गोपनीय व सुनसान स्थान पर करीबन 11.25 एएम पर मेरे द्वारा परिवादी को वाईस रिकार्डर चालु कर सपुर्द कर संदिग्ध मेघराज से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना कर उसके पीछे-पीछे अपनी पहचान छुपाते हुये रवाना हुआ। कुछ समय बाद परिवादी नगर निगम के भवन में प्रवेश कर गया व मै उक्त कार्यालय के पास ही मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी नगर निगम कार्यालय से बाहर आया और नगर निगम कार्यालय से निकलकर पूर्व से निर्धारित स्थान पर पहुंचा और मै भी उसके पीछे-पीछे रवाना होकर उसके पास गया और परिवादी ने वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मैंने बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। मै परिवादी के साथ रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने बताया कि मै मेघराज के कार्यालय में गया, जहां पर मेघराज जी मुझे मिल गये। उनसे मेरी माताजी की पेंशन के बकाये भूगतान के सम्बंध में वार्ता की गई। उसने मुझे पहचानने से इन्कार कर दिया तो मैंने मेरे भाई बंटी का परिचय दिया जिस पर उसने मुझे बंटी को साथ लेकर आने की कहा गया। परिवादी ने कहा कि दिनांक 20.01.2023 को मेरे छोटे भाई को साथ लेकर कार्यालय आ जाऊंगा। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया। दिनांक 20.01.2023 को परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान अपने छोटे भाई के साथ ब्यूरो ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ। मन् उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी के छोटे भाई से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बंटी सारवान पुत्र श्री ग्यारसीलाल सारवान उम्र 36 साल निवासी मकान नं0 33/3 सैक्टर-01, मालवीय नगर अपेक्स हॉस्पिटल के पास, जयपुर का होना बताया व परिवादी की शिकायत के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि मेरे बड़े भाई श्री विनोद कुमार सारवान ने मेरी सहमति प्राप्त कर ही ब्यूरो कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गई व मेघराज जी से मेरे सम्पर्क पूर्व से है, क्योकि मै मेरी माताजी का नोमिनी हूं। इसलिए मै पूर्व उक्त पेंशन के शेष भूगतान के लिए कई बार मेघराज जी से मिल चुका हूं। इस पर उसके भाई को परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया और कार्यवाही सम्मलित होने सहमति चाही गई तो उसने अपनी सहमति प्रदान की और प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। तदुपरान्त मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नमो नारायण कानि0 नं0 453 को कार्यालय में बुलाकर परिवादी के साथ आये उसके भाई बंटी का आपस में परिचय करवाया तथा पूर्व में काम लिए जा रहे वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर कानि0 को सुपुर्द कर परिवादी व उसके भाई के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न कराने की मुनासिब हिदायत देकर कानि0 को परिवादी व उसके भाई के साथ उसकी टैक्सी से रवाना किया। समय 1.20 पीएम पर श्री नमो नारायण कानि0, परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान व उसके भाई श्री बंटी कुमार सारवान के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर वाईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अवगत कराया कि मै परिवादी व उसके भाई के साथ उनकी टैक्सी में ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर, जयपुर से कुछ दुरी पहले गोपनीय व सुनसान स्थान पर रूके, जहां पर पर मेरे द्वारा परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान व उसके भाई श्री बंटी सारवान को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध मुनासिब हिदायत

देकर समय करीबन 12.38 पीएम पर वाईस रिकार्डर चालु कर परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को सपुर्द कर संदिग्ध मेघराज से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए रवाना कर परिवादी व उसके भाई के पीछे-पीछे कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जवाहर नगर, जयपुर के पास पहुंचा, जहां पर नगर निगम कार्यालय के सामने स्थित परिसर ग्राउण्ड में परिवादी व उसके भाई को संदिग्ध मेघराज मिल गया और आपस में वार्ता करने लग गए। मै भी उनकी निगरानी में अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए कार्यालय के पास ही मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी व उसके भाई वार्ता के पश्चात् नगर निगम कार्यालय के बाहर स्थित परिसर ग्राउण्ड से निकलकर पूर्व से निर्धारित स्थान पर पहुंचे और मै भी उसके पीछे-पीछे रवाना होकर उनके पास गया और परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान ने वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मैने बंद कर सुरक्षित अपने पास में रखा। तत्पश्चात् मै परिवादी व उसके भाई के साथ रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान ने बताया कि मै अपने छोटे भाई के साथ नगर निगम के परिसर ग्राउण्ड में गया तो मेघराज जी वही खड़े हुए मिल गए, जिसने मेरे भाई बंटी को पहचान गया और मेरी माताजी की पेंशन के सम्बंध में वार्ता हुई, उसने मेरी माताजी की बकाया पेंशन का भूगतान करने के लिए 30,000 रूपये की मांग कर उसने 25,000/- रूपये हां भर दी। मेघराज जी ने कहा कि आप कभी भी रूपये लेकर आ जाना। उक्त सारी वार्ता आपके द्वारा दिये गये वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। परिवादी के भाई श्री बंटी सारवान ने अपने भाई द्वारा कहे गये कथनो की पुष्टि करते हुए बताया कि मेघराज जी मेरी माताजी की बकाया पेंशन के भूगतान के बदले 25000/-रूपये मांग रहा है। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा वाईस रिकार्डर चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी व उसके भाई द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि हुई। उक्त रिकार्डेड वार्ता का गोपनीयता की दृष्टि से आइन्दा वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण के विस्तृत हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किये गये जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन के परिपेक्ष्य में ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 23.01.2023 को परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज रिश्वती राशि की व्यवस्था नही हो सकी इसलिए मै कल दिनांक 24.01.2023 को रिश्वती राशि 25,000/- रूपये की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को पेंशन सम्बंधित कागजात भी पेश करने कहा तो परिवादी ने बताया कि पेंशन सम्बंधित समस्त कागजात तैयार कर मेघराज जी को दे दिये। मेरे पास उक्त कागजातो की कोई प्रति नही है। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को अपने छोटे भाई श्री बंटी सारवान के साथ रिश्वती राशि के 25,000/- रूपये लेकर दिनांक 24.01.2023 को ब्यूरो कार्यालय में कार्यालय समय पर उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत देकर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय रूखसत किया गया। चूंकि दिनांक 24.01.2023 को गोपनीय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है अत: श्री मनीष कुमार कानि0 नं0 315 को पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन के साथ उपस्थित होने हेतु कहा गया जिस पर कानि. द्वारा कुछ समय बाद दो स्वतंत्र गवाहान लेकर कार्यालय में उपस्थित हुआ जिनसे मन् उपअधीक्षक पुलिस ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री राजाराम मीणा पुत्र श्री गिरधारी लाल मीणा, उम्र 33 साल, निवासी रामनगर, पोस्ट-विरासना, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर हाल सहायक वनपाल, पीसीसीएफ(ट्री), अरण्य भवन जयपुर मो.नं. 8107575128 व दूसरे ने अपना नाम श्री जीतराम मीना पुत्र श्री हरकेश मीना, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम पोस्ट-पीपलदा, तहसील-बौली, जिला-सवाईमाधोपुर हाल कनिष्ट सहायक, पीसीसीएफ(ट्री), अरण्य भवन जयपुर मो.नं. 6375382368 बताया। चूंकि गोपनीय कार्यवाही की विश्वसनियता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता रहती है, अत: उक्त दोनो सरकारी गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने की सहमती चाही तो दोनो सरकारी गवाहान ने अपनी सहमती दी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहन को दिनांक 24.01.2023 को ब्यूरो कार्यालय में कार्यालय समय पर उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया। दिनांक 24.01.2023 को स्वतंत्र गवाहन श्री राजाराम मीणा, व श्री जीतराम मीना कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात् चौकी में उपस्थित परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान व उसके भाई श्री बंटी सारवान से दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाकर, परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय 11.00 एएम पर कार्यालय में

Singh

उपस्थित स्वतंत्र गवाहन श्री राजाराम मीणा व श्री जीतराम मीना की मौजुदगी में मन् उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को संदिग्ध मेघराज चांवरिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा तो उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 25000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 25000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान के समक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर तथा परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री राजाराम मीणा से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान की पहनी हुई पेन्ट की बांये तरफ आगे की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414217254 पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें व परिवादी के छोटे भ्राई श्री बंटी सारवान को भी हिदायत दी गई कि वह अपने भाई परिवादी के साथ रिश्वत लेन-देन के वक्त मौजुद रहकर अपने भाई द्वारा रिश्वती राशि संदिग्ध मेघराज को देने के पश्चात् रिश्वत राशि को कहां रखता है का ध्यान रखे। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये कांच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां, नये गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त कार्यवाही में साथ ले जाने वाले ट्रेप बॉक्स को अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उसमें उक्त सामान रखवाया गया। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी डालकर श्री नमोनारायण कानि. नं0 453 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने वाले श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51 को कार्यालय में ही छोडा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की गई। समय 12.15 पीएम पर श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर

Suresh

तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, मय श्री ब्रहमप्रकाश हैडकानि. 99, श्रीमती रजनी म0 कानि0 नं0 127, श्री मनीष कुमार कानि. 315, श्री सुभाष चन्द कानि0 नं0 592, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राजाराम मीणा एवं श्री जीतराम मीना, जरिये सरकारी वाहन नं. आरजे 14 यूडी 1391 चालक श्री बाबुलाल कानि0 नं0 563 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के एवं श्री नमोनारायण कानि. 453, को परिवादी व उसके भाई के साथ उनकी टैक्सी से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही के लिये रवाना होकर समय 12.30 पीएम कार्यालय उपायुक्त, आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान को उसके भाई श्री बन्टी के साथ समय 12.34 पीएम पर श्री नमोनारायण कानि. 453 द्वारा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी विनोद कुमार सारवान को सुपुर्द कर संदिग्ध के कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन की अनुसरण में पैदल रवाना किया गया तथा उनके पीछे-पीछे श्री नमोनारायण कानि. को भी रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम भी उनके पीछे-पीछे रवाना होकर कार्यालय उपायुक्त, आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज के आस-पास आकर अपनी पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाया। कुछ समय बाद परिवादी व उसका भाई बन्टी संदिग्ध के कार्यालय में प्रवेश कर गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम के परिवादी व उसके भाई बन्टी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 1.13 पीएम पर परिवादी के भाई श्री बन्टी ने निर्धारित ईशारा किया जिस पर समय करीब 1.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाह व ट्रेप टीम के परिवादी व उसके भाई के पास पहुंच, परिवादी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा गया तथा परिवादी व उसके भाई बन्टी को साथ लेकर संदिग्ध वरिष्ठ सहायक (कक्ष) कमरा नं. 111, आदर्श नगर जोन, हैरिटेज, जयपुर के अन्दर प्रवेश किया तो कक्ष में 4 व्यक्ति व 1 महिला मौजूद मिले जिनको कक्ष में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी विनोद कुमार ने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि ये श्री मेघराज जी है जिन्होने अभी अभी मेरे से 25,000 रूपये अपने दांये हाथ से लेकर पास में बैठी हुई महिला को दे दिये, जिस पर हमराह स्टाफ से सावधानी पूर्वक श्री मेघराज के दोनो हाथ कलाई से उपर पकडाये गये तथा हमराह महिला कानि. श्रीमती रजनी मीना, बैल्ट नं. 127 की मौजूदगी में आरोपी श्री मेघराज की कुर्सी के पास बैठी हुई औरत की गरिमा को ध्यान में रखते हुये रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि थोड़ी देर पहले श्री मेघराज जी ने (मौके पर उपस्थित परिवादी विनोद कुमार की ओर ईशारा करते हुये) इनसे रूपये लेकर अपने हाथ से मेरे को अपने पास रखने के लिए दिये थे जिनको मैने अपने हाथो से गिने तो कुल 25000 रूपये हुये जिनको मैने अपने पास रख लिये थे जो अब भी मेरे पास ही है। परिवादी से प्राप्त किये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर मन् टीएलओ द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित पुनः मन् टीएलओ द्वारा अपने पास रखा गया। तदुपरान्त श्री मेघराज को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मेघराज चांवरिया पुत्र श्री लखन लाल, उम्र 42 साल निवासी म.नं. एस-7, वार्ड नं. 90, अशोक चौक, आदर्श नगर-जयपुर पुलिस थाना आदर्श नगर हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर बताया तथा रिश्वती राशि के 25,000/- रूप्ये के बारे में आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि मैने श्री विनोद कुमार से किसी प्रकार की कोई रिश्वती राशि नहीं ली है। विनोद कुमार अपनी माता जी की पेशन के लिए मेरे पास आया था जिसके कागजात मेरे पास रखे हुये है। मैने रिश्वत के रूप में इससे रूपयो की मांग नही की तथा आज मैने इससे रूपये रिश्वत के नही लिये है। जिस पर विनोद कुमार ने आरोपी की बात बीच में ही काटते हुये कहा कि इन्होने मेरी स्व. माता श्रीमती शान्तिदेवी की बकाया पेंशन के भुगतान की एवज में मेरे से दिनांक 20.01.2023 को 30,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे थे, मेरे द्वारा काफी मान-मनुवार व निवेदन करने पर उन्होने मेरे से 25000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने की सहमती प्रदान की थी जिस पर इन्होने मेरे से आज रिश्वत के रूप में 25000 रूपये अपने दांये हाथ से लेकर पास में बैठी महिला को दे दिये जो इस महिला ने अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने पास रख लिये थे। जिस पर उक्त महिला से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम यशोदादेवी पत्नी नवल किशोर, उम्र 45 साल, निवासी म.नं. बी-52-53, थर्ड फेज, झालाना डुंगरी, जयपुर बताया तथा रिश्वत के रूपयो के बारे में पूछा तो उसने पुनः बताया कि थोड़ी देर पहले श्री मेघराज जी ने 500-500 रूपयो के नोटो की गड्डी विनोद से

Suresh

लेकर अपने हाथ से कुछ समय के लिए मेरे को अपने पास रखने के लिए दिये थे जिनको मैने गिने तो कुल 25000 रूपये हुये जिनको मैने अपने पास रख लिये थे जो अब भी मेरे पास ही है। ये रूपये किसलिए लिये व किस काम के लिए है मेरे को इस बारे में कुछ भी पता नही है। मै इस कार्यालय में पूर्व में संविदा पर काम करती थी, अब संविदा अवधि समाप्त होने पर वर्तमान में मै यहा ऑफिस में सफाई व चाय-पानी पिलाने का कार्य करती हूं जिसके बदले ये मेरे को खर्चा-पानी दे देते है। आज विनोद व बन्टी, मेघराज जी के पास आकर अपनी माता के पेशन संबंधि वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान में उठकर बाहर चली गई तो मेघराज जी ने मेरे को फोन कर कमरे में बुलाया तो मै अन्दर गई तो मेघराज जी ने बिनोद से रूपये मुझे दिलाना चाहा तो मैने मना कर दिया और विनोद ने भी मेघराज जी को ही रूपये लेने के लिए कहा जिस पर मेघराज जी ने विनोद से रूपये अपने हाथ में लेकर, कुछ समय के लिए मेरे पास रखने के लिए दे दिये जिनको मैने अपने पास रख लिये थे। तत्पश्चात आरोपी से पुन: रिश्वत की राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बिना कुछ कहे अपनी नजरे नीचे झुका ली। कार्यालय में मौजूद अन्य व्यक्ति से नाम-पता पूछ गया तो श्री कैलाश पुत्र नारायण, उम्र 62 साल निवासी म.नं. 141, कसाई मोहल्ला, सांगानेरी गेट, मिनरवा टाकिज के पिछे, जयपुर मो. नं. 8058372603 ने बताया कि मै बन्टी व उसके भाई के आने से पहले ही ऑफिस में मेरे रिटायरमेन्ट की पेंशन हेतु मेघराज जी के पास आया था। मै पूर्व में यही पर सफाई कर्मचारी था। मेरी पेन्शन अभी तक बनी नही है। मै बन्टी को पूर्व से जानता हूं। बन्टी व उसका भाई विनोद कुमार, मेघराज से अपनी मां की पेंशन संबंध बातें कर रहे थे। उस दौरान मेघराज ने बन्टी व उसके भाई विनोद कुमार से रूपये अपने हाथ में लिये और रूपयों को यशोदादेवी को दे दिये। ये रूपये किस बात के थे इसकी मुझे जानकारी नही है। तत्पश्चात मौजूद अन्य व्यक्ति से पूछा तो उसने अपना नाम श्री दिनेश कुमार पुत्र दिलीप उम्र 38 साल निवासी म.नं. पी-18, आदर्श नगर, अशोक चौक, जयपुर हाल जमादार, आदर्श नगर जोन, नगर निगम (हैरिटेज), जयपुर बताया व कहा कि मेरी टेबल मेघराज की टेबल के सामने ही है। मै संस्थापन शाखा में ही काम करता हूं। आज दिन में मै अपने कार्यालय में काम कर रहा था जिस दौरान बन्टी व विनोद, मेघराज जी के पास अपनी माता जी के पेंशन बनवाने के संबंध में आये थे और पेंशन संबंधि बाते कर रहे थे। इसी दौरान रूपयों के लेन-देन की भी बाते इनके मध्य हुई थी। बातें करने के पश्चात विनोद ने मेघराज जी को रूपये दिये थे जो उसने यशोदादेवी को रखने के लिये दिये थे। उक्त रूपये किस काम के लिए दिये थे मुझे पता नही है। इसके बाद कार्यालय में मौजूद शेष अन्य व्यक्ति से नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम हेमराज पुत्र श्री कन्हैयालाल, उम्र 45 साल निवासी म.नं. 58, श्रीराम विहार, चाकसू हाल जमादार, आदर्श नगर जोन, नगर निगम (हैरिटेज), जयपुर बताया व कहा कि मेरी कुर्सी मेघराज जी के बराबर ही है। मै भी उक्त कार्यालय में संस्थापन का कार्य देखता हूं। मेरे पास चार वार्ड है और मेघराज के पास 5-6 वार्ड है। आज दिन में मै अपने कार्यालय में काम कर रहा था जिस दौरान बन्टी व विनोद, मेघराज जी के पास अपनी माता जी के पेंशन बनवाने कार्या के संबंध में आकर पेंशन संबंधि बाते कर रहे थे। बातें करने के पश्चात विनोद ने मेघराज जी को कुछ रूपये दिये थे जो उसने यशोदादेवी को रखने के लिये दिये थे। उक्त रूपये किस काम के लिए दिये थे मुझे इस संबंध में जानकारी नही है। तत्पश्चात हमराह महिला कानि. श्रीमती रजनी मीना की मौजूदगी में व दोनो स्वतन्त्र गवाहो तथा उपस्थित स्टाफ की उपस्थिति में श्रीमती यशोदादेवी से आरोपी मेघराज द्वारा दिये गये रूपये अपने पास से निकाल कर देने के लिए कहा तो श्रीमती यशोदादेवी ने अपने पास से रिश्वत के 500-500 रूपयों की गड्डी निकालकर सामने टेबल पर रखी जिसको स्वतन्त्र गवाह श्री जीतराम, कनिष्ठ सहायक से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के कुल 50 नोट, राशि 25000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोट स्वतंत्र गवाह श्री जीतराम के पास सुरक्षित रखवाये गये। मन् टीएलओ द्वारा आरोपी श्री मेघराज द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाईल फोन को पेश करने के लिए कहा तो आरोपी ने एक काले रंग को मोबाईल वीवो कंपनी, पेश किया, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री जीतराम के पास सुरक्षित रखवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री मेघराज के हाथों का धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के दो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी न

होकर हल्का गुलाबी नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को पूर्ण रूप से गुलाबी न होकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी न होकर बहुत हल्का झांई देता हुआ नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी न होकर बहुत हल्का झांई देता होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त धोवन में फिनोफ्थलीन पाउडर की उपस्थिती हेतु पृथक से परीक्षण करवाया जायेगा। इसी प्रकार श्रीमती यशोदादेवी के हाथों का धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के दो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में श्रीमती यशोदादेवी के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को पूर्ण रूप से गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क MR-1, MR-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे कांच के गिलास के घोल में श्रीमती यशोदादेवी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क ML-1, ML-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त धोवन में फिनोफ्थलीन पाउडर की उपस्थिती हेतु पृथक से परीक्षण करवाया जायेगा। कार्यवाही के दौरान ही वक्त 3.45 पीएम पर आरोपी श्री मेघराज चांवरिया ने अपने सिने में दर्द होना जाहिर किया जिस पर आरोपी को मन् टीएलओ मय श्री नमोनारायण कानि. के सरकारी वाहन से हमराह लेकर पास में स्थित मोनालिका अस्पताल से प्राथमिक उपचार करवाकर, आरोपी को हमराह लेकर वक्त 5.00 पीएम पर वापस कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन (हैरिटेज), जयपुर पहुंच, कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्रीमती यशोदादेवी के पास से प्राप्त किये गये 500-500 रूपयों के 50 नोट, कुल 25,000/-रूपये रिश्वती राशि जो स्वतंत्र गवाह श्री जीतराम के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए। श्रीमती यशोदादेवी से प्राप्त की गई उपरोक्त रिश्वती राशि 25,000/- रूपये के नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सिल चिट मोहर कर मार्क-M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। आरोपी श्री मेघराज चांवरियां को दिनांक 20.01.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 24.01.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो विभागीय मिनी वॉईस रिकॉडर में रिकॉर्ड है, उक्त रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आरोपी की आवाज की पहचान हेतु रिकॉर्डर को चालू कर मौके पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिनेश कुमार हाल जमादार, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर को सुनाया गया तो श्री दिनेश कुमार द्वारा वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाजो मे से एक आवाज आरोपी मेघराज चांवरियां, वरिष्ठ सहायक की होना पहचान की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मेघराज चांवरियां हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर को लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी विनोद कुमार व उसके भाई बन्टी से उनकी स्वर्गीय माता श्रीमती शान्तिदेवी की बकाया पेंशन के भुगतान की एवज में दिनांक 20.01.2023 को 30,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर, 25000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने की

सहमती प्रदान कर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में बर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी विनोद कुमार सारवान से रिश्वत के रूप में 25000 रूपये अपने दांये हाथ से लेकर पास में बैठी महिला यशोदादेवी को देना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया गठित पाया गया। अत: श्री मेघराज चांवरिया पुत्र श्री लखन लाल, उम्र 42 साल निवासी म.नं. एस-7, वार्ड नं. 90, अशोक चौक, आदर्श नगर-जयपुर, पुलिस थाना आदर्श नगर, हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। चूंकि रिश्वत राशि श्रीमती यशोदादेवी से प्राप्त हुई है लेकिन उक्त महिला के रिश्वत लेन-देन में लिप्तता के तथ्य स्पष्ट प्रकट नही हुये है। अत: श्रीमती यशोदादेवी की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान से स्थिती स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा। आरोपी श्री मेघराज चांवरिया से परिवादी श्री विनोद कुमार की माताजी के पेशन संबंधी पत्रावली मांगी गई तो आरोपी ने अपने कार्यालय की अलमारी से निकालकर एक पत्रावली प्रस्तुत की जिस पर कार्यालय उपायुक्त, मोती डूंगरी जोन, हैरिटेज एवं ग्रेटर नगर निगम जयपुर लिखा हुआ है तथा विषय में शान्ति देवी/ग्यारसी लाल, पूर्व सफाई कर्मचारी सेवानिवृत दिनांक 30.09.2018 के पेंशन प्रकरण आक्षेप की पूर्ति बाबत लिखा हुआ है। उक्त पत्रावली प्रकरण के पैण्डिग कार्य से संबंधित होने से जरिये फर्द जब्ती अभिलेख, पृथक से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के कार्यालय की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु व कागजात नही पाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री विनोद कुमार सारवान व उसके भाई बन्टी सारवान की निशानदेही से दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटना-स्थल का नक्शा-मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई जिसका नमूना फर्द पर अंकित किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन-देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्ताओं का नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां तैयार की जायेगी।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री मेघराज चांवरियां हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी विनोद कुमार व उसके भाई बन्टी से उनकी स्वर्गीय माता श्रीमती शान्तिदेवी की बकाया पेंशन के भुगतान की एवज में दिनांक 20.01.2023 को 30,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर, 25000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने की सहमती प्रदान की गई। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में वर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी विनोद कुमार सारवान से रिश्वत के रूप में 25000 रूपये अपने दांये हाथ से लेकर पास में बैठी महिला यशोदादेवी को देना पाया गया। आरोपी श्री मेघराज चांवरिया का उक्त जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया गठित होना पाया जाने पर श्री मेघराज चांवरिया पुत्र श्री लखन लाल, उम्र 42 साल निवासी म.नं. एस-7, वार्ड नं. 90, अशोक चौक, आदर्श नगर-जयपुर, पुलिस थाना आदर्श नगर, हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया।

अत: आरोपी श्री मेघराज चांवरिया पुत्र श्री लखन लाल, उम्र 42 साल निवासी म.नं. एस-7, वार्ड नं. 90, अशोक चौक, आदर्श नगर-जयपुर, पुलिस थाना आदर्श नगर, हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

Suresh

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री मेघराज चांवरिया पुत्र श्री लखन लाल, वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त, नगर निगम, आदर्श नगर जोन, (हैरिटेज) जयुपर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 22/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 167-70 दिनांक 25.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उपायुक्त(कार्मिक), नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

25.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।